संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश,
चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

सत्र 2009–10 में डिप्लोमा पाठ्यक्रम एवं बी.एस.सी. (गणित विषय) उत्तीर्ण उम्मीदवारों को बी.ई./बी.फार्मेसी पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग कार्यक्रम (प्रथम चरण)

व्यापमं द्वारा आयोजित लेटरल एन्ट्री परीक्षा –2009 के परीक्षा परिणाम के आधार पर डिप्लोमा पाठ्यक्रम एवं बी.एस.सी. (गणित विषय) उत्तीर्ण उम्मीदवार बी.ई./बी.फार्मेसी पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेने/प्रवेश का अवसर लेने के लिये सरदार वल्लभभाई पोलीटेकनिक महाविद्यालय, श्यामलाहिल्स, भोपाल में निम्नलिखित कार्यक्रम अनुसार उपस्थित हो सकते है:–

दिनांक/दिन	समय	श्रेणी	लेटरल एण्ट्री प्राप्तांक
20/11/2009 शुक्रवार	प्रातः 10:00 बजे	समस्त श्रेणी के बी.एस.सी. (गणित विषय) उत्तीर्ण उम्मीदवार	समस्त बी.एस.सी.(गणित) के उम्मीदवार जिन्होंने लेटरल एण्ट्री परीक्षा दी है
	प्रातः 10:30 बजे	समस्त अनुसूचित जनजाति (ST) उम्मीदवार (पुरूष एवं महिला)	डिप्लोमा उत्तीर्ण ऐसे उम्मीदवार जो लेटरल एण्ट्री परीक्षा में सम्मिलित हुए है
	अपरान्ह 2:00 बजे	समस्त अनुसूचित जाति (SC) उम्मीदवार (पुरूष एवं महिला)	डिप्लोमा उत्तीर्ण जिन्होंने लेटरल एण्ट्री परीक्षा में **38** या अधिक अंक प्राप्त किये हैं
21/11/2009 शनिवार	प्रातः 10:00 बजे	समस्त अनुसूचित जाति (SC) उम्मीदवार (पुरूष एवं महिला)	डिप्लोमा उत्तीर्ण ऐसे उम्मीदवार जो लेटरल एण्ट्री परीक्षा में सम्मिलित हुए है
	अपरान्ह 2:00 बजे	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)/ अनारक्षित श्रेणी (UR) (पुरूष एवं महिला)	डिप्लोमा उत्तीर्ण ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने लेटरल एण्ट्री परीक्षा में **56** या अधिक अंक प्राप्त किये हैं
22/11/2009 रविवार	प्रातः 10:00 बजे	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)/ अनारक्षित श्रेणी (UR) (पुरूष एवं महिला)	डिप्लोमा उत्तीर्ण ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने लेटरल एण्ट्री परीक्षा में **48** या अधिक अंक प्राप्त किये हैं
	अपरान्ह 2:00 बजे	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)/ अनारक्षित श्रेणी (UR) (पुरूष एवं महिला)	डिप्लोमा उत्तीर्ण ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने लेटरल एण्ट्री परीक्षा में **43** या अधिक अंक प्राप्त किये हैं
23/11/2009 सोमवार	प्रातः 10:00 बजे	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)/ अनारक्षित श्रेणी (UR) (पुरूष एवं महिला)	डिप्लोमा उत्तीर्ण ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने लेटरल एण्ट्री परीक्षा में **38** या अधिक अंक प्राप्त किये हैं
	अपरान्ह 2:00 बजे	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)/ अनारक्षित श्रेणी (UR) (पुरूष एवं महिला)	डिप्लोमा उत्तीर्ण ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने लेटरल एण्ट्री परीक्षा में **34** या अधिक अंक प्राप्त किये हैं
24/11/2009 मंगलवार	प्रातः 10:00 बजे	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)/ अनारक्षित श्रेणी (UR) (पुरूष एवं महिला)	डिप्लोमा उत्तीर्ण ऐसे उम्मीदवार जो लेटरल एण्ट्री परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं

नोट:– आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार जिन्होने अपनी श्रेणी की काउंसिलिंग में सीट का आवंटन करा लिया है वे चाहे तो अन्य बेहतर विकल्प हेतु अनारक्षित श्रेणी की सीटों हेतु काउंसिलिंग कार्यक्रम के आधार पुनः उपस्थित हो सकते हैं।

उम्मीदवारों को निम्नलिखित मूल दस्तावेज काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करने होगें। साथ ही उनकी फोटोप्रतियों का एक सेट काउंसिलिंग के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा :–

(1) व्यापंम द्वारा प्रदत्त लेटरल एन्ट्री परीक्षा–2009 की अंकसूची।
(2) अर्हकारी परीक्षा डिप्लोमा पाठ्यक्रम या बी.एस.सी. (गणित) के तीनों वर्षो की अंकसूचियॉ।
(3) 10+2 परीक्षा की पद्धति के अन्तर्गत उत्तीर्ण 10वीं कक्षा की परीक्षा की अंक सूची ।

(4) 10+2 परीक्षा की पद्धति के अन्तर्गत उत्तीर्ण 12वीं की परीक्षा या समकक्ष परीक्षा की अंकसूची (यदि लागू हो)।
(5) मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी संबंधी प्रमाण–पत्र।
(6) आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण–पत्र (जो भी लागू हो)।
(7) राष्ट्रीय स्तर पर भाग ली गई खेलकूद प्रतिस्पर्धा का प्रमाण–पत्र (जो भी लागू हो)।
(8) अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के उम्मीदवारों को परिवार की समस्त स्त्रोत से आय का नवीनतम प्रमाण–पत्र (यदि अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र दिनांक 1 अप्रेल 2007 के पूर्व जारी किया गया हो)
(9) दो नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ ।
(10) निर्धारित शिक्षण शुल्क के अग्रिम भुगतान एवं काउंसिलिंग शुल्क हेतु "संचालक तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश"के नाम भोपाल में देय रूपये 9500/– एवं 500/–रूपये के दो अलग–अलग डिमाण्ड ड्राफट लाना अनिवार्य है। मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अपिव (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के उम्मीदवारों को कोई अग्रिम शिक्षण शुल्क देय नहीं है परन्तु इन उम्मीदवारों को काउंसिलिंग शुल्क के रूप में रूपये 500/–का डिमाण्ड ड्राफट लाना अनिवार्य होगा यदि उम्मीदवार काउंसिलिंग में शामिल होता हैं और वह सीट का चयन नहीं करता या उसे कोई सीट आंवटित नहीं होती है, तो उसे रूपये 9500/– की राशि का डिमाण्ड ड्राफट वापिस कर दिया जावेगा परन्तु रूपये 500/– का डिमाण्ड ड्राफट वापिस नहीं होगा।

नोटः–

1) प्रवेश के लिये पात्रता लेटरल एण्ट्री प्रवेश नियम 2009 के नियमानुसार निर्धारित की जावेगी तदोपरांत योग्य पाये जाने पर उम्मीदवारों को सीटों/संस्थानों का आवंटन पूर्णतयाः मेरिट के आधार पर किया जावेगा ।

2) उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि अर्हकारी परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों ने 60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक तथा मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के उम्मीदवारों ने 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त किये हैं ।

2) यदि किसी अपरिहार्य कारणवश काउंसिलिंग प्रक्रिया में विलम्ब होता है, तो उम्मीदवार को काउंसिलिंग में आवंटन होने तक रूकना पड़ सकता है। जिसकी व्यवस्था उम्मीदवार को स्वयं करनी होगी।

3) लेटरल एण्ट्री प्रवेश नियम, रिक्त सीटों की अद्यतन जानकारी एवं समतुल्य बी.ई. पाठ्यक्रमों की जानकारी संचालनालय की वेबसाईट– www.mptechedu.org पर उपलब्ध रहेगी ।

संचालक तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश